हुई। अधिवक्ता प्रार्थीगण तथा अधिवक्ता

2/5/17 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थीगण तथा अधिवक्ता विपक्षीगण उपस्थित। विपक्षीगण द्वारा प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र अंतर्गत O 9 R 4 सपठित धारा 151 जा.दी. का जवाब आज भी प्रस्तुत नहीं किया। न्यायहित में अंतिम मौका दिया जाता है। आइन्दा तारीख पेशी पर जवाब प्रस्तुत नहीं होने पर जवाब प्रस्तुत करने का अवसर समाप्त कर दिया जावेगा। पत्रावली अंतर्गत दि. 12/5/17 को वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र लोक अदालत। कैम्प कोर्ट, अटल सेवा केन्द्र गड़ावत पर प्रस्तुत होवे।

2/05/17 पत्रावली लोक अदालत। कैम्प कोर्ट अटल सेवा केन्द्र गड़ावत पर प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता प्रार्थीगण श्री विवेक कंसारा उपस्थित। विपक्षी सं. 1 व 2 मय अधिवक्ता अनुपस्थित। विपक्षीगण की ओर से प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत O 9 R 4 सपठित धारा 151 जा.दी. का जवाब आज भी प्रस्तुत नहीं हुआ, जबकि गत तारीख पेशी पर जवाब प्रस्तुत करने हेतु अंतिम मौका दिया गया था। लेकिन बावजूद सूचना

फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, ऋषभदेव

प्रार्थी सोहन मीणा वगै. विपक्षी श्री कालू मीणा वगै.

किस्म मुकदमा प्रा. पत्र पत्रावली संख्या 35 सन् 2012

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएँ जारी की गई
	विपक्षीगण न तो उपस्थित हुये तथा न ही उनके द्वारा कोई जवाब ही प्रस्तुत किया गया। ऐसी स्थिति में विपक्षीगण का जवाब प्रस्तुत करने का अवसर समाप्त किया जाता है। उपस्थित अधिवक्ता प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण का उक्त उत्तर का वादपत्र दिनांक 20.10.16 को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया गया था। प्रार्थीगण के अनुसार उनके अधिवक्ता की तबियत खराब होने से नियत तारीख पेशी पर उपस्थित नहीं हो सके थे तथा प्रार्थीगण के भी रोजगार की तलाश में बाहर होने से वे अपने अधिवक्ता से सम्पर्क नहीं कर पाये। मामला खारिज होने की जानकारी मिलते ही उनके द्वारा वादपत्र को पुनः स्थापित करने का हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया है। प्रार्थीगण के अनुसार दिनांक 20.10.16 को मामला	

बहस प्रार्थना पत्र हेतु नियत था, यदि वादपत्र को पुनः स्थापित नहीं किया गया तो प्रार्थीगण अपनी भूमि व अधिकारों से वंचित हो जायेंगे, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी रूप में नहीं हो पायेगी।

अप्रार्थीगण द्वारा कई अवसर दिये जाने के बावजूद भी न तो जवाब प्रस्तुत किया, न ही आज पेशी पर उपस्थित हुये है।

अतः पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों, प्रार्थीगण के हस्तगत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों तथा शपथ पत्र के आधार पर, प्रार्थीगण के न्यायिक हितों के संरक्षण के दृष्टिगत, प्रार्थीगण का हस्तगत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत O9R4 सपठित धारा 151 जा.दी. उचित पाये जाने से स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थीगण का उक्त उनवान का वाद पुनः स्थापित करने के आदेश दिये जाते है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

[signature] 12/05/17

उपखण्ड अधिकारी एवं सहा. कलक्टर [illegible]
[illegible]

कार्यालय
प्रार्थी
किस्म मुकदमा
क्रमांक
9636725